करार के रूप में स्टांपित किया जाए, अनुप्रामाणित न किया जाए

ज्ञापन संख्या :___________ दिनांक:

संशोधित सुरक्षित जमा लॉकर करार

यह लॉकर करार बैंक और उसके ग्राहक के बीच उस स्थान पर तथा अनुसूची में उल्लिखित स्थान तथा तारीख को किया जाता है। ("करार")

अभिव्यक्ति "बैंक" में इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक और समनुदेशिती शामिल होंगे; तथा अभिव्यक्ति "ग्राहक" शब्द में जबकि निम्नानुसार ग्राहक शामिल होंगे:

(क) एक या एक से अधिक व्यक्ति, उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि;

(ख) कोई स्वामित्व फर्म, मालिक और उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि;

(ग) कोई साझेदारी फर्म, ऐसे फर्म और उसके उत्तराधिकारी, ऐसी फर्म के भागीदार, उनमें से उत्तरजीवी या उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, उनमें से प्रत्येक के कानूनी प्रतिनिधि :

(घ) कोई हिंदू अविभक्त परिवार (एचयूएफ), उसके सदस्य और उनके उत्तरजीवी, कानूनी वारिस, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि; और

(ङ) कोई लिमिटेड कंपनी, उसके उत्तराधिकारी।

(बैंक, और प्रत्येक ग्राहक को **"पक्षकार"** और सामूहिक रूप से **"पक्षकारों"** के रूप में संदर्भित किया गया है)

जबकिः

(क) सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक ग्राहक ने ऐसी सुविधा के लिए बैंक से संपर्क किया है;

(ख) बैंक ग्राहक को कतिपय नियमों और शर्तों के अधीन सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत है; और

(ग) पक्षकारों ने इस संबंध में उनके बीच सहमति निर्धारित करने के लिए इस करार को निष्पादित करने का निर्णय लिया है।

पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नानुसार सहमति है:

1. लॉकर लाइसेंस

1.1 बैंक अनुज्ञापक के तौर पर एतदद्वारा एक लाइसेंसधारक के रूप में, ग्राहक को सुरक्षित जमा लॉकर उपयोग करने का लाइसेंस प्रदान करता है, जिसका विवरण इस करार की अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित है (इसके बाद "**लॉकर**" के रूप में संदर्भित) जो इस करार के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन है।

1.2 ग्राहक यहाँ वर्णित शर्तों के तहत स्वीकृत लाइसेंस के लिए अनूसूची में निर्दिष्ट शुल्क को किराए के तौर पर स्वीकार करता है। **("किराया")**

1.3 लॉकर का उपयोग करने के लिए एतद् द्वारा लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है जोः

(क) व्यक्तिगत और ग्राहक के स्वयं के उपयोग के लिए हैं और ग्राहक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के उपयोग के लिए नहीं है;

(ख) गैर-हस्तांतरणीय है;

(ग) केवल वैध उद्देश्यों के लिए जैसे गहने और दस्तावेजों जैसी कीमती वस्तुओं के भंडारण के लिए, लेकिन किसी भी नकदी या मुद्रा को भंडारण करने के लिए नहीं है.

(घ) लॉकर का उपयोग निम्नलिखित वस्तुओं के भंडारण के लिए नहीं किया जाएगाः

(i) शस्त्रों, हथियारों, विस्फोटक, मादक पदार्थ और/या कोई प्रतिबंधित सामग्री; और/या

(ii) कोई भी खराब होने वाली सामग्री और/या रेडियोएक्टिव सामग्री और/या कोई अवैध पदार्थ और / या

(iii) कोई भी सामग्री जो बैंक या उसके किसी भी ग्राहक के लिए कोई खतरा या परेशानी उत्पन्न कर सकती है।

1.4 ग्राहक के पास इस करार के तहत निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार लॉकर के परिचालन और उसके उपयोग संबंधी अधिकार के अलावा लॉकर में कोई अन्य अधिकार या संपत्ति का अधिकार नहीं होगा।

1.5 ग्राहक को लॉकर परिचालित करने की अनुमति इन शर्तों पर दी जाएगीः

(क) लॉकर का परिचालन बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विशिष्ट समय के दौरान बैंक के कार्य दिवस पर और ऐसी अधिसूचना के अभाव में, बैंक के कारोबारी समय के दौरान किया जाएगा। तथापि, यदि बैंक के नियंत्रण से परे किसी भी वजह जैसे बाढ़, दंगा, कर्फ्यू, तालाबंदी आदि कारणों से बैंक कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो लॉकर के परिचालन की अनुमति देने का बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा;

(ख) निर्धारित फॉर्म और तरीके में बैंक के रिकॉर्ड में ग्राहक द्वारा ऐसे परिचालन का विवरण दर्ज करने के बाद; और

(ग) बैंक द्वारा मांगे जाने पर पहचान प्रमाण प्रदान करने के बाद ।

1. ग्राहक के अधिकार

(क) इस करार की शर्तों के अधीन ग्राहक को सामान रखने के लिए लॉकर का उपयोग करने का अधिकार होगा और ऐसे सामान की सुरक्षा के लिए बैंक द्वारा उचित देखभाल की अपेक्षा रहेगी, ऐसा करने में बैंक की विफलता की स्थिति में लागू कानून और विनियमों के तहत समय-समय पर उपलब्ध उपायों का प्रयोग किया जा सकेगा।

(ख) लागू कानून और विनियमों के तहत ग्राहक को समय-समय पर उपलब्ध अधिकारों की बैंक अभिस्वीकृति देता है।

2. ग्राहक का वचनबंध और दायित्व

2.1 ग्राहक द्वाराः

(क) लॉकर का उपयोग लागू कानून और विनियमों के अनुसार केवल उस उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए यह प्रदान किया गया है;

(ख) लॉकर परिचालन के लिए बैंक द्वारा समय-समय पर अंगीकृत नियमों और विनियमों का पालन किया जाएगा;

(ग) लॉकर खोलने के लिए बैंक द्वारा प्रदान की गई चाबी, पासवर्ड या किसी अन्य पहचान प्रणाली को किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा, इसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जाएगा और इसे किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में पड़ने नहीं दिया जाएगा, ताकि लॉकर के अनधिकृत उपयोग को रोका जा सके;

(घ) लॉकर को केवल चाबी, पासवर्ड या बैंक द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य पहचान प्रणाली का उपयोग करके परिचालित किया जाएगा और अन्यथा नहीं;

(ङ) लॉकर के परिचालन के लिए बैंक द्वारा प्रदान की गई चाबी या किसी अन्य पहचान प्रणाली के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा या उसकी प्रति नहीं बनाई जाएगी;

(च) लॉकर के परिचालन के लिए बैंक द्वारा प्रदान की गई चाबी, पासवर्ड या किसी अन्य पहचान प्रणाली के खो जाने पर बैंक को तुरंत सूचित किया जाएगा;

(छ) लॉकर के परिचालन के लिए बैंक द्वारा प्रदान की गई चाबी, पासवर्ड या किसी अन्य पहचान प्रणाली, जिसके खो जाने की सूचना पूर्व में बैंक को दी गई थी, मिलने पर उसे तुरंत बैंक को वापस किया जाएगा;

(ज) देय होने पर बैंक को किराए का भुगतान किया जाएगा और बैंक द्वारा किए गए निम्न सभी खर्चों का वहन किया जाएगा –

i. बैंक द्वारा प्रदान की गई चाबी के खो जाने के बारे में ग्राहक द्वारा रिपोर्ट करने पर संबंधित ताले को बदलने तथा लॉकर की मरम्मत करने पर किया गया खर्च; और

ii. करार की शर्तों के अनुसार लॉकर को तोड़े जाने की स्थिति में किया गया खर्च.

(झ) पते में बदलाव की स्थिति में बैंक को नया पता और संपर्क विवरण फोन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आदि सहित तुरंत सूचित किया जाएगा।

3. बैंक के अधिकार

3.1 बैंक को यह अधिकार होगा किः

(क) लॉकर के संबंध में किराये और बैंक द्वारा किए गए अन्य किसी खर्च का यदि संबंधित ग्राहक द्वारा देय होने पर भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित ग्राहक के खाते को नामे करते हुए वसूल करें, और

(ख) लॉकर का उपयोग करने की अनुमति तब तक न दे जब तक कि –

(i) लॉकर पर देय किराये का भुगतान नहीं किया जाता है; और

(ii) लॉकर के परिचालन के दौरान बैंक द्वारा मांगे जाने की स्थिति में ग्राहक अपनी पहचान संबंधी प्रमाण प्रदान नहीं करता है।

3.2 लाइसेंस की समाप्ति

3.2.1 इस करार के अधीन ग्राहक द्वारा किसी भी उल्लंघन या चूक की स्थिति में तथा/अथवा बैंक की राय में ग्राहक सहयोग नहीं करता है तथा/अथवा इस करार की शर्तों एवं अनुबंधों का अनुपालन नहीं करता है तो पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा ((i) ईमेल द्वारा जहां ग्राहक की ईमेल आईडी उपलब्ध है; और (ii) जहां ग्राहक का मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध है, वहां एसएमएस और/या व्हाट्सएप द्वारा भी) कम से कम 3 (तीन) महीने की लिखित पूर्व सूचना जारी करने के उपरांत इस करार और इसके तहत दिए गए लाइसेंस को समाप्त करने का अधिकार बैंक को होगा।**("करार-समाप्ति सूचना")**

3.2.2 करार समाप्ति सूचना प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारक को तत्काल और समाप्ति नोटिस के तहत निर्धारित नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले लॉकर से वस्तुओं को वापस लेना होगा और लॉकर का खाली करना, लॉकर खोलने के लिए प्रदान की गई चाबी, पासवर्ड या कोई अन्य पहचान तंत्र और दस्तावेज बैंक को सौंपना होगा।

3.3 लॉकर को ब्रेक ओपेन करना और इसकी सामग्री से संबंधित

3.3.1 निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक घटनाओं की स्थिति में इस करार में दिए गए प्रावधानों, बैंक की आंतरिक नीतियों एवं पद्धतियों तथा लागू नियमों और विनियमों अनुसार बैंक को लॉकर को तोडकर खोलने (ब्रेक ओपन) और इसकी सामग्री से संबंधित अधिकार होगा-

(क) यदि खंड 3.2.1 के अनुसार ग्राहक को करार समाप्ति नोटिस तामिल की गई है और ग्राहक समाप्ति नोटिस के तहत निर्धारित नोटिस अवधि की समाप्ति

के बाद भी लॉकर बैंक को वापस नहीं करता है और उसे खाली नहीं करता है;

(ख) लगातार 3 (तीन) वर्षों तक किराए का भुगतान नहीं किया जाता है; और

(ग) लॉकर 7 (सात) वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए निष्क्रिय रहता है (भले ही किराए का भुगतान किया गया हो या नहीं); और बैंक द्वारा ग्राहक का पता नहीं लगाया जा सकता है।

3.3.2 लॉकर को तोड़कर खोलने (ब्रेक ओपन) के अधिकार का प्रयोग करने से पहले, बैंक ग्राहक को एक सूचना (उपरोक्त खंड 3.2.1 के तहत करार समाप्ति नोटिस के अलावा) बैंक के लॉकर को तोड़ने की प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा ((1) ईमेल द्वारा जहां ग्राहक की ईमेल आईडी उपलब्ध है; और (ii) जहां ग्राहक का मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध है, वहां एसएमएस और/या व्हाट्सएप द्वारा भी) कम से कम 3 (तीन) महीने की पूर्व लिखित **सूचना** भेजेगा। **("ब्रेक ओपन नोटिस")**

3.3.3 इस अनुबंध के तहत किसी भी बात के बावजूद, लॉकर तोड़ने से पहले बैंक ग्राहक के मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर, ग्राहक के पते पर एक व्यक्तिगत संदेशवाहक भेजकर, ग्राहक की लैंड लाइन/मोबाइल फोन पर फोन कॉल करके आदि द्वारा ग्राहक से संपर्क करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

3.3.4 यदि बैंक द्वारा भेजा गया समाप्ति नोटिस और ब्रेक ओपन नोटिस बिना डिलीवर हुए वापस कर दिया जाता है या उपरोक्त खंड 3.3.2 और 3.3.3 के तहत बताए गए प्रयासों सहित बैंक द्वारा उचित प्रयासों के बावजूद ग्राहक का पता नहीं चल पाता है तो, बैंक, लॉकर को तोड़ने से पहले, लॉकर को तोड़ने के बैंक के इरादे के बारे में कम से कम 3 (तीन) महीने की सार्वजनिक सूचना कम से कम 2 (दो) समाचार पत्रों में (एक अंग्रेजी में और दूसरा स्थानीय भाषा में) उसी स्थान पर जहां ग्राहक रहता है, जैसा कि अनुबंध में बताए गए ग्राहक के पते से प्रमाणित है या जैसा कि ग्राहक द्वारा आगे बैंक को सूचित किया गया है, जारी करेगा।

3.3.5 लॉकर को तोड़कर खोलने का काम एक समिति की उपस्थिति में किया जाएगा जिसमें बैंक के 2 (दो) अधिकारी और गवाह के रूप में 2 (दो) स्वतंत्र व्यक्ति शामिल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित लॉकर (स्मार्ट वॉल्ट सहित) की स्थिति में, लॉकर खोलने के लिए 'वॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर' पासवर्ड का उपयोग किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जाएगा और प्रक्रिया का पूरा ऑडिट ट्रेल संरक्षित किया जाएगा।

3.3.6 ऊपर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए लॉकर को ब्रेक ओपेन किया जाएगा और बैंक, लॉकर में मौजूद सामग्री की सूची तैयार की जाएगी एवं बैंक के अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा सामग्री का मूल्यांकन किया जाएगा तथा लॉकर की सामग्री को सीलबंद लिफाफे में अग्निरोधक तिजोरी के अंदर छेड़छाड़-रोधी तरीके से विस्तृत सूची के साथ रखा जाएगा।

3.3.7 उपरोक्त के अलावा, बैंक इन्वेंट्री मूल्यांकन और उसे सुरक्षित रखने और संरक्षित करने के साथ-साथ ब्रेक ओपन प्रक्रिया का एक वीडियो भी रिकॉर्ड करेगा ताकि भविष्य में किसी भी विवाद या अदालती मामले की स्थिति में साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सके।

3.3.8 इसके अतिरिक्त, बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि लॉकर को तोड़कर खोलने का विवरण लॉकर रजिस्टर के अलावा बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) या आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुरूप किसी अन्य कम्प्यूटरीकृत सिस्टम में दर्ज किया जाता है।

3.3.9 उपरोक्त पैराग्राफों में बताए गए तरीके से तैयार की गई इन्वेंट्री में दर्ज लॉकर की वस्तुओं का निपटान या तो सार्वजनिक नीलामी में बिक्री के माध्यम से किया जाएगा और बिक्री आय से पहले ग्राहक के बैंक के बकाये (बकाया किराया, ब्रेकिंग ओपन शुल्क और कोई अन्य बकाया सहित) को वसूला जाएगा और शेष राशि ग्राहक को वापस कर दी जाएगी या ग्राहक के आदेश पर निपटान के लिए रखी जाएगी।

3.3.10 बैंक द्वारा सार्वजनिक नीलामी आयोजित करके लॉकर की सामग्री की बिक्री से पहले, बैंक को प्राप्य राशि की वसूली के लिए लॉकर की सामग्री की नीलामी के इरादे के बारे में ग्राहक को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा ((1) ईमेल द्वारा जहां ग्राहक की ईमेल आईडी उपलब्ध है; और (ii) जहां ग्राहक का मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध है, वहां एसएमएस और/या व्हाट्सएप द्वारा भी) कम से कम 3 (तीन) महीने की पूर्व लिखित सूचना जारी करेगा। उक्त नोटिस में नीलामी की तारीख, समय, स्थान और इस संदर्भ में बनाई गई लॉकर की सामग्री की सूची शामिल होगी। **("नीलामी सूचना")**

4. दायित्वों और देयता से बैंक का उन्मोचन

4.1 किसी भी मामले में चाहे वह बारिश, बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने, नागरिक अशांति अथवा दंगा या युद्ध या किसी आतंकवादी हमले की स्थिति में या इसी तरह के किसी अन्य कारणों की स्थिति में लॉकर की सामग्री के खराब या क्षति होने की स्थिति में बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

4.2 ग्राहक की गलती या लापरवाही के कारण होने वाले किसी भी कार्य से सामग्री की किसी भी क्षति/हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

4.3 इस करार के प्रावधानों के अनुसार लॉकर को तोड़ने की स्थिति में और उसकी सामग्री से संबंधित अपने दायित्वों से बैंक उन्मोचित हो जाएगा और ग्राहक द्वारा किए गए किसी भी व्यय, हानि (लॉकर की सामग्री के किसी भी नुकसान और / या हानि सहित) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

4.4 उपर्युक्त के बावजूद, लॉकर पर बैंक की देयता हमेशा संबंधित विधि और विनियम के अंतर्गत मर्यादा के अधीन होगी ।

4.5 लॉकर की सामग्री को किसी भी तरह से बैंक द्वारा बीमाकृत नहीं माना जाएगा, और बैंक के पास किसी भी जोखिम के खिलाफ लॉकर की सामग्री का बीमा करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

5. कानून और अधिकार क्षेत्र

यह करार भारतीय कानून के अधीन किया गया है और इससे उत्पन्न होने वाले सभी मामले उस स्थान पर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे जहां बैंक स्थित है या जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक आता है।

<u>अनुसूची</u>

स्थान**:**		दिनांक**:**
	1. **इस करार के पक्षकार**	
1(ए)	**बैंक**	**[●]**के तहत निगमित [●] और जिसके परिचालन में शामिल शाखा जिसका ब्यौरा यहाँ नीचे दिया गया है
	शाखा	
1(बी)	**ग्राहक**	नाम और पता **:**
		1 **नाम**: **पता**: **ईमेल आईडी**: **टेलीफोन नंबर**:
		मोबाइल नंबर:
		2 **नाम**: **पता**: **ईमेल आईडी**: **टेलीफोन नंबर**: **मोबाइल नंबर:**
		3 **नाम**: **पता**: **ईमेल आईडी**: **टेलीफोन नंबर**: **मोबाइल नंबर:**
2	**लॉकर का विवरण**	लॉकर नंबर **:**
		चाबी नंबर **:**
3	**लॉकर किराया प्रतिवर्ष**	**रु. (अंकों में):**_______________________________ **रुपये(शब्दों में):**_____________________________ **(समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है)** **(अग्रिम रूप से भुगतान करना है)**
4	**लाइसेंस की अवधि**	**इस करार की तारीख से** 1 **(एक) वर्ष तक**, **जोकि एक वर्ष की समाप्ति पर 1 (एक) वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए हर बार स्वत: अवधि वर्धित हो जाएगा जब तक कि यहाँ उल्लेखित शर्तों के अनुसार समाप्त नहीं किया जाता है।**
5	**परिचालन अधिदेश**	
6	**कोई अन्य शर्त**	

इसके साक्ष्य स्वरूप, **इस करार को निष्पादित करने वाले पक्षकार**

ग्राहक के प्रयोग के लिए			
	1	**2**	**3**
हस्ताक्षर			
नाम			
पदनाम/ क्षमता*			

(*जहां पर ग्राहक कोई एक व्यक्ति नहीं है/ या भौतिक रूप में स्वयं हस्ताक्षर न करने की स्थिति में)

बैंक के प्रयोग हेतु [बैंक का नाम/शाखा का नाम]:

हस्ताक्षर:
हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
पदनाम :